न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 442/2017 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बजरंगा पुत्र कवरया जाति मीना
2. श्रीमती संतरा पत्नि सुरज्ञान जाति मीना
3. श्रीमती फोरन्ती पत्नि श्री देवपाल जाति मीना

निवासीयान ग्राम डेहकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर(राज0)

.....अपीलान्टस

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार भू0 अभि0 तहसील व जिला सवाईमाधोपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1394 दिनांक 11.7.2017 राजस्व ग्राम डेहकवा न्यायालय तहसीलदार भू0अभि0 सवाई माधोपुर राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत कुश्तला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री रामस्वरूप साहू वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 11.7.2017 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1394 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का पटवार मण्डल डेहकवा द्वारा मुताबिक दानपत्र नामान्तरकरण वास्ते स्वीकृति हेतु दिनांक 9.5.2017 को गिरदावर के समक्ष पेश किया गया । गिरदावर द्वारा दिनांक 19.5.2017 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/रजिस्टर्ड दानपत्र अंकन सही है कि रिपोर्ट अंकित करते हुये तहसीलदार सवाई माधोपुर को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 11.7.2017 को नामान्तरकरण संख्या 1394 पर यह आदेश पारित किया कि " नामान्तरकरण आज दिनांक 11.7.2017 को ग्राम पंचायत कुश्तला में पेश हुआ । पृथक से प्राप्त जांच रिपोर्ट पटवारी/आई एल आर के अनुसार नामान्तरकरण पारिवारिक है जो विवादित है तथा प्रकरण न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहां विचाराधीन है। अतः नामान्तरकरण

खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वाद निर्णय न्यायालय के अनुसार पुनः दर्ज किया जावे तथा जांच रिपोर्ट चस्पा की जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1394 स्वीकार किये जाने योग्य है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2017 पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की वैक पर पारित किया गया आदेश है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की सरासर अवहेलना है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट नं0–1 अपीलान्ट नं0 2 व 3 का ससुर है। यह कि ग्राम डेहकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में स्थित खाता संख्या 273 के खसरा नम्बर कुल किता–20 कुल रकबा 6.38 है0 में अपीलान्ट नं0–1 की 1/2 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदारी कब्जा स्वामित्व की आराजी थी। जिसमें से अपीलान्ट नं0 1 ने अपीलान्ट नं0 2 व 3 उसकी पुत्र बधुऐं होने से व उनसे प्रसन्न होने से अपीलान्ट नं0 2 श्रीमती संतरा केहक में 1.25 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र कम संख्या 2016000037 दिनांक 28.10.2016 से व अपीलान्ट नं0 3 श्रीमती फोरन्ती के हक में 1.25 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र कम संख्य 2016004327 दिनांक 28.10.2016 से दान कर दी जिसे अपीलान्ट नं0 2 व 3 ने स्वीकार कर कब्जा प्राप्त कर लिया जो वर्तमान में भी दान की गई भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। तहत अदालत ने इस नामान्तरकरण को यह कह कर खारिज कर दिया है कि यह नामान्तरकरण पारिवारिक है, विवादित है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है । स्वैच्छा से दानकर्ता द्वारा भूमि दान की गई है स्वैच्छा से दानगृहिताओं द्वारा दान लिया गया है। दानपत्रों को रजिस्टर्ड भी कराया गया है। कोई विवाद नहीं है न ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है। न ही कोई इस आराजी पर कोई भी किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। तहत अदालत इस मामले में कहीं पक्षकार भी नहीं है। न किसी व्यक्ति द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोलने की मांग की गई है । बाबजूद इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2017 परित किया गया है जो बेबुनियाद तथ्यों कयासों के आधार पर मनमाने तरीके से पारित किया गया आदेश है जो काबिले मंसूखी है। जो कतई न्याय संगत नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरेअपील दिनांक 11.7.2017 तहसीलदार सवाईमाधोपुर निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1394 मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र स्वीकृति हेतु तहसीलदार को आदेशित किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत तहसीलदार (भू0अ0) सवाई माधोपुर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि इस प्रकरण में अपीलान्ट संख्या एक बंजरंगा द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 व 3 कमशः श्रीमती संतरा व श्रीमती फोरन्ती के हक में रजिस्टर्ड दानपत्र किया है। चूंकि यह भूमि पारिवारिक भूमि है जिसमें 1/2 का दानकर्ता खातेदार है। यह पारिवारिक मामला है और इस भूमि पर

Web Copy - Not Official

पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। पृथक से प्राप्त जांच रिपोर्ट पटवारी/आई एल आर के अनुसार नामान्तरकरण पारिवारिक है जो विवादित है तथा प्रकरण न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहां विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में बहुबाद को रोकने के लिये नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही का स्थगित किया जाना न्यायोचित रहता है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है । अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपीलान्ट संख्या –1 बजरंगा ने अपीलान्ट संख्या 2 संतरा व अपीलान्ट संख्या 3 फोरन्ती जो उसकी पुत्र वधुऐं है के हक में दिनांक 28.10.2016 को रजिस्टर्ड दानपत्र तहरीर किया है। दानपत्र के आधार पर दान–गृहिताओं के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना भी न्यायोचित रहता है किन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण पारिवारिक होने एवं विवादित होने तथा सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से नामान्तरकरण पर आदेश दिनांक 11.7.2017 अंकित करते हुये नामान्तरकरण स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया है। किन्तु दौराने अवलोकन इन तथ्यों कि ताईद में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाया गया । ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि क्या दौराने नामान्तरकरण कार्यवाही तहत अदालत के समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत अथवा स्थगन आदेश था या कोई ऐसा कानूनी बिन्दु/व्यवधान था जिसके प्रभाव में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया । तहत अदालत द्वारा अंकित किये गये एतराज अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट होना मुनासिब नहीं है। तहत अदालत द्वारा सूक्ष्म तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टि से नामान्तरकरण एक सरसरी प्रक्रिया है और दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृति के अलावा तहसीलदार के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहता जब तक कि उस मामले में कोई ठोस कानूनी व्यवधान अथवा किसी हायर अदालत का प्रतिकूल आदेश प्रकट नहीं हो जाता। तहत अदालत ने अपने सूक्ष्म आदेश के जरिये जो सिविल न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होने का जिक्र किया है न्यायिक मंशा के मध्यनजर उस तथ्य को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे ख्याल से इस प्रकरण में अभी ट्रॉयल अदालत द्वारा परीक्षण किया जाकर स्पीकिंग आदेश पारित किया जाना शेष है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है कि दौराने नामान्तरकरण कार्यवाही किसी व्यक्ति की कोई उज्रदारी तहत अदालत के समक्ष पेश हुई हो तो अपीलाधीन आदेश को Contested नहीं माना जा सकता । न्यायिक मंशा के मध्यनजर यह अपीलाधीन आदेश अति सूक्ष्म आदेश है जिससे तहत अदालत के कथनों की पूर्ण रूपेण ताईद नहीं हो पा रही है। हमारी विनम्र राय में तहत अदालत तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अंकित किये गये तथ्यों के संबध में पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत सुनवाई एवं निराकरण कर परीक्षणोपरान्त पुनः निर्णय हेतु यह प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य ही रहता है।

Web Copy - Not Official

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2017 निरस्त किया जाता है तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की वास्तविकता से रूबरू होकर, आराजी से हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद परीक्षण पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्याय संगत स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official